KALAYAAN

justice for migrant domestic workers

घरेलू
कामगार
के अधिकार
के लिए खड़े ह

कल्याण क्या है?

कल्याण क स्थापना 1987 म स्वयं घरेलू कामगार एवं उनके समथर्क के ारा क गई थी। हम ऐसे वासी घरेलू कामगार (MDW) को सलाह देने, वकालत करने तथा समथर्न सेवा दान करने वाली अणी दात (चैरटी) संस्था ह जो UK म कसी नियो के पूणर्तः घरेलू काम को करने के लिए वेश करते ह। हम अधिकतर उन यि के साथ काम करते ह जो विदेशी घरेलू कामगार वीजा पर UK म वेश करते ह।

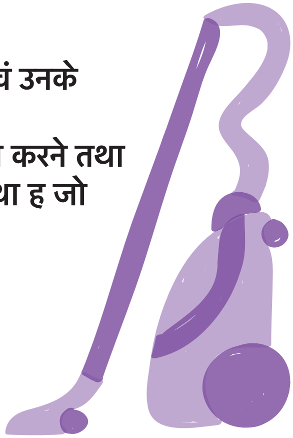

सलाह-वकालत-सहयोग

कल्याण निलिखित सहित नि:शुल्क, गोपनीय सलाह तथा सहायता दान करता है:

- अवासन तथा नियु संबंधी मामल पर सलाह
- कानूनी तिनिधित्व एवं सलाह तक पँच
- एक GP के साथ पंजीकृत होने म सहायता
- मनोवैज्ञानिक सहायता एवं सलाह तक पँच
- सुरक्षित निवास क खोज
- प लिखने, फॉम को पूरा करने तथा CV को बनाने म सहायता
- कल्याण एक थम उरदाता है, जिसका अथर् है क हम रीय रेफरल तं (NRM) म उन्हे षित कर सकते ह, जो मानव तस्करी के पीड़ित क पहचान करने के लिए टिश सरकार क पहचान णाली है।
- UK म बसने के इच्छुक छा के लिए नि:शुल्क अंेजी कक्षाएँ एवं लिऊक (LIUK) तथा अंेजी परीक्षा क तैयारी हेतु कक्षाएँ।

अैल 2012 म घरेलू कामगार वीज़ा म परवतर्न ने कामगार को अपने नियोा से बांध दया

इसका अथर् था क:

- कामगार नियोा को नह बदल सकते थे
- कामगार अपने वीज़ा को 6 महीने के आगे पुन:नवीकृत या विस्तारत नह कर सकते थे।
- कामगार अपने नियुिअधिकार को लागू नह करवा सकते थे
- दुरवहार और शोषण पीड़ित मिक जो अपने नियोा से बच कर निकल आते थे, वे वीज़ा के उल्लंघन म थे और UK से हटाए जाने के जोखिम म थे।

कामगार ने कल्याण को सूचित कया:

- उनके पासपोटर् तथा वेतन को रोक लिया गया
- लंबी अवधि तक काम करने के लिए बाध्य □कया गया
- फशर् पर सोना
- सीमित भोजन मिलना
- आने-जाने क आज़ादी पर पाबंदयां
- शारीरक, मानसिक तथा यौन शोषण
- गुलाम क तरह वहार

बाध्य वीज़ा वाले कामगार के अनुभव सरकार के समकष यह दशत करने के लिए महतवपूणर रहे ह क क्य इन परवतर्न ने कामगार को दुरवहार के ति जयादासु बना दया

बदलाव क माँग
अधिकार क पुनःस्थापना क याा

2013

सरकार के ारा आधुनिक गुलामी कानून क घोषणा

कल्याण एवं अन्य संगठन माँग करते ह क कामगार के अधिकार क पुनःस्थापना क जाए

2014

म 2 संसदीय समितियाँ 2012 म कए गए परवतर्न को वापस लेने क सिफारिश करती ह

फरवरी 2015

सरकार आसत् नह क नियोा के साथ बाध्य (TIE) ने कामगार के शोषण म वृ किर दी, अतः स्वतं समीक्षा के लिए आह करती है

दसम्बर 2015

समीक्षा □काशित

समीक्षा ने दो मुख्य सिफारश क

1. सभी घरेलू कामगार को नियोा बदलने और ारंभिक 6 महीने के वीज़ा के बाद 2 वष तक वीज़ा के पुन:नवीकरण का अधिकार दया जाना चाहिए। शोषित कामगार को सुरक्षा दान करने के लिए और सुरक्षित पुन:-नियुा करने के लिए 2.5 वषर् को न्यूनतम आवश्यक समय माना गया।

2. सभी कामगार को एक जानकारी मीटग म अवश्य शामिल होना चाहिए, जहाँ वे अपने अधिकार के संबंध म जानकारी, सलाह और सहायता ा करते ह (यद वे UK म 42 दन से ज्यादा से ह)।

2016 म कल्याण एवं हमारे समथर्क ने माँग क इन सभी सिफारश को अवासन कानून म शामिल कया जाना चाहिए, लेकन सरकार ने सिफर् कुछ को स्वीकार कया।

वीज़ा म परवतर्न 2016

- नियोा बदलने का अधिकार
- छ: महीने के आगे वीज़ा के पुन:नवीकरण का अधिकार नह
- जानकारी मीटग स्वीकृत पर अभी उन्ह लागू कया जाना है

वीज़ा म 2016 के परवतर्न कामगार के मूल अधिकार को पुनःस्थापित नह करते ह

मुख्य चताएँ

- शोषित कामगार के लिए नियोा बदलने का अधिकार अथर्हीन है, जो अपने वीज़ा का पुनःनवीकरण नह करा सकते
- यद कामगार के पास सुरक्षित पुनः-नियुि पाने का समय नह है, तो नियोा बदलने का अधिकार शोषण नह रोकेगा
- शोषक नियोा को छोड़ने वाले कामगार को रेफरस नह दए जाते
- संभावित नियोा के ारा बिना रेफरस एवं उनके वीज़ा पर बचे सीमित समय वाले कसी कामगार क नियुि क कम संभावना होती है।

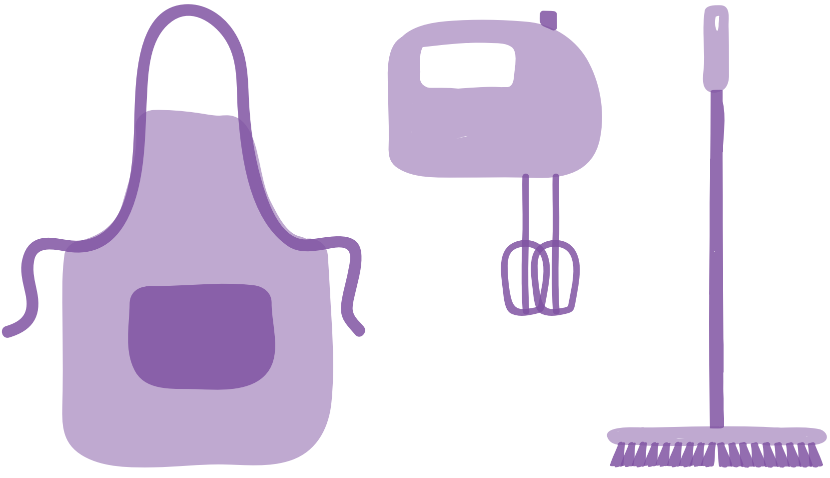

घरेलू कामगार: हम बताएँ क वीज़ा आपको कैसे भावित करता है:

- हमारे साथ रजिस्टर कर – या तो 020 7243 2942 पर हम कॉल कर या हमारे शिक्षित सलाहकार म से कसी एक के साथ मुलाकात तय करने के लिए हमारे क पर पधार।
- अपने अनुभव को साझा कर - रजिस्ेशन मुलाकात के दौरान हम घरेलू कामगार के प म आपके अनुभव के संबंध म आपके साथ गोपनीय प से बातचीत करते ह, और क्या आपको टिंन म काम करने का अधिकार है, हित आपके अवासन तथा नियुअधिकार पर सलाह दान करते ह।
- आपक कहानिय को दस्तावेजित कर – कल्याण आपके ारा साझा क गई जानकारी का लिखित रकॉडर् रखेगा, लेकन चता न कर, हम आपक निजी जानकारी को कल्याण के बाहर कसी से साझा नह करगे।
- संपकर् म रह – हम आपके केस के परणाम को जानना चाहगे। इस कार क सूचना ा करना कल्याण के अभियान के लिए वास्तव म उपयोगी है। पहचानरहित या नामरहित घरेलू कामगार क कहानिय का उपयोग सरकार को भावित करने के यास और बदलाव के लिए संघषर् करने का एक बत शशिाली तरीका है।

कल्याण क ाथमिकता- सेवा को ा करते समय घरेलू कामगार को सुरक्षित, सहायता ा, सूचित और सश महसूस कराना सुनिित करना

संपकर् कर

13 हप्पौम प्लेस,
लंदन, W11 4SF

0207 243 2942

0207 792 3060

info@kalayaan.org.uk

@kalayaan

www.kalayaan.org.uk

चैरटी रजिसे्शन संख्या :
1146596

अवासन सेवाएँ आयु कायार्लय के
ारा नियमनकृत

ाधिकरण संख्या : N201200050
(HINDI)